



# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।


(राजस्व शाखा)

## - आदेश -

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या-18052020009 के माध्यम से आवेदिका श्रीमती निक्कि मांझी ग्राम साडम पंचायत गोला थाना गोला जिला रामगढ़ का पी0एम0एम0भी0वाई0 की राशि नहीं मिलने से संबंधित प्राप्त शिकायत को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कि गई।

दिनांक 16.12.2020 को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के प्रतिनिधि श्री अभिषेक धान लिपिक समाज कल्याण, रामगढ़ उपस्थित हुए। आवेदिका द्वारा वॉट्सअप के माध्यम से आवेदन देकर सूचित किया गया है कि उन्हें उक्त राशि की भुगतान कर दी गई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय पत्रांक 783 दिनांक 05.12.2020 के द्वारा आवेदिका को पी0एम0एम0भी0वाई0 की राशि भेजने से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के प्रतिनिधि के अनुरोध के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें।

  
अपर समाहर्ता-सह-


जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।

ज्ञापांक.....1877/रा0

दिनांक...18/12/2020

प्रतिलिपि:- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्रीमती निक्कि मांझी पति श्री मिहिर चन्द्र ग्राम साडम थाना+प्रखण्ड गोला जिला रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर समाहर्ता-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।